संख्या-90/2016/1029/22-2-2015-17(106)/2014

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 जुलाई, 2016

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी रामनरेश उर्फ भूरा पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-आगरा हाल जिला-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46822/पर-3(एम-28-10-2015) दिनांक-09-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामनरेश उर्फ भूरा पुत्र श्री बाबूराम, ग्राम-मंगदपुरा, थाना-बाह, जनपद-आगरा हालपता-मानधाती, थाना-एका, जिला फिरोजाबाद का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 23-11-1978 को शाम लगभग 06-30 डकैती डालने के दौरान बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 03 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-470/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-396/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगरा द्वारा दिनांक 27-02-1979 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गयाA मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20-09-1983 द्वारा दोषमुक्त किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23-10-1997 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30-09-2015 तक 17 वर्ष 11 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 09 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 23-11-1978 को शाम लगभग 06-30 डकैती डालने के दौरान बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 03 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रामनरेश उर्फ भूरा पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-आगरा हाल जिला-फिरोजाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामनरेश उर्फ भूरा (बन्दी संख्या-8,284) पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-आगरा हाल जिला-फिरोजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-90/2016/1029(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-90/2016/1029/22-2-2015-17(106)/2014

दिनांक 19 जुलाई, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी बन्दी रामनरेश उर्फ भूरा (बन्दी संख्या-8,284) पुत्र श्री बाबूराम, निवासी ग्राम-मंगदपुरा, थाना-बाह, जनपद-आगरा हालपता-मानधाती, थाना-एका, जिला फिरोजाबाद का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 23-11-1978 को शाम लगभग 06-30 डकैती डालने के दौरान बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 03 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-470/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-396/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश आगरा द्वारा दिनांक 27-02-1979 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20-09-1983 द्वारा दोषमुक्त किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23-10-1997 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 30-09-2015 तक 17 वर्ष 11 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 09 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 23-11-1978 को शाम लगभग 06-30 डकैती डालने के दौरान बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 03 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रामनरेश उर्फ भूरा पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-आगरा हाल जिला-फिरोजाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।